

परिशिष्ट "अ"  
अतारांकित प्रश्न क्रमांक-3717  
द्वारा-विधायक श्री ब्रह्मा भलावी

क	अप.क्र./धारा/थाना	दिनांक घटना/दि. कायमी	घटना स्थल	फरियादी	आरोपीगण/वाहन
1	207/2020 धारा 379,109 भादवि एवं सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 03 - थाना शाहपुर	दिनांक 18.5.2020/ घटना कायमी 20.5.2020	तवा नदी ग्राम थाना ढोड़रामोहार शाहपुर	श्री तहसीलदार शाहपुर नरेन्द्र सिंह ठाकुर	1. वाहन क्रमांक एमपी-48 एच-0921, संजू विश्वकर्मा एवं तोफिक खान (रैत जब्ती 9.24 घन मीटर ) 2. वाहन क्रमांक एम.पी.-48 एच 0849, सुरेश,महेन्द्र खलतकर (रैत जब्ती 10.164 घनमीटर ) 3. वाहन क्रमांक-एमपी 48 एच 0612, कुण्डलिकराव, गजेन्द्र खलतकर (रैत जब्ती 10.164 घनमीटर)
2.	216/2020 धारा 379,109 भा.द.वि. सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 03- थाना शाहपुर	दिनांक घटना 18.05.2020/ दिनांक कायमी 05.06.2020	तवा नदी ग्राम थाना ढोड़रामोहार शाहपुर	श्री तहसीलदार शाहपुर नरेन्द्र सिंह ठाकुर	खनिज रेत का अवैध परिवहन करने के संबंध में पत्र थाना शाहपुर में देने पर दिनांक-05.06.2020 को (1) वाहन क्रमांक एम.पी. 48 एच 5317, अज्ञात चालक (रैत जब्ती 12.21 घन मीटर) (1) खाली वाहन क्रमांक-एम.पी. 48 एच 1004, ओमप्रकाश चौरे, (2) खाली वाहन क्रमांक-एम.पी. 48 एच 1219, अज्ञात चालक (3) खाली वाहन क्रमांक-एम.पी. 28 जी 2277 अज्ञात चालक, (4) खाली वाहन क्रमांक एम.पी. 48 एच 1283 , महेन्द्र गीद, (5) खाली वाहन क्रमांक एम.पी. 04 जी.ए. 4614, अज्ञात चालक, (6) खाली वाहन क्रमांक एम.पी. 48 एच 0571, रमेश उबनार । नोट:-उपरोक्त 06 वाहनो को अवैध रेत को खाली कर चालक भाग गये थे।

कमलेश्वर  
मध्य प्रदेश राज्य,  
एच (पुलिस) विभाग, बी (1)  
इलाहाबाद, इलाहाबाद.

213/2-1  
AIG of Police  
CID, M.P., BHOPAL